भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2952

दिनांक 10 मार्च, 2026

पीजेटीएसएयू को निधि जारी करना

2952. डॉ. मल्लू रवि :

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों, आईसीएआर समीक्षाओं और संपरीक्षा टिप्पणियों पर ध्यान दिया है, जिनमें प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (पीजेटीएसएयू) को हाल के वर्षों में केंद्रीय सहायता अनुदान और योजना निधि को अपर्याप्त और विलंबित रूप से जारी करने के बारे में कहा गया है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान पीजेटीएसएयू को अनुमोदन की तुलना में आईसीएआर सहायता, आरकेवीवाई आवंटन और अन्य केंद्र प्रायोजित योजना निधि सहित जारी की गई केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के विलंब या कमी ने नगरकुरनूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित पिछड़े और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों और विस्तार सेवाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान-केंद्रित अनुसंधान और विस्तार गतिविधियां बाधित न हों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को समय पर, पूर्वानुमानित और पर्याप्त केंद्रीय निधि सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं, कृषि विज्ञान केंद्र, शिक्षा) की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत धनराशि को आवंटन के अनुसार तथा AUCs की प्रस्तुति के अनुसरण में जारी किया जाता है। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (PJTSAU) के संबंध में धनराशि को देरी से जारी किए जाने का ऐसा कोई मामला विभाग/मंत्रालय की जानकारी में नहीं है। धनराशि जारी करने में होने वाली कोई भी देरी, यदि है, तो उसका कारण एयूसी तथा संबंधित दस्तावेजों का देर से प्राप्त होना होता है जो कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी करने के लिए पूर्व निर्धारित शर्त होती है।

(ख) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा वांछित दस्तावेजों की प्राप्ति पर मानकों के अनुसार आधारभूत संरचना, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए कृषि शिक्षा ईएफसी योजना "भारत में उच्चतर कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं विकास" के अंतर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) को जरूरत आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (PJTSAU), हैदराबाद के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) को भी भाकृअनुप-कृषि विस्तार प्रभाग के माध्यम से आधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (AICRPs) के अंतर्गत भी प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (PJTSAU), हैदराबाद को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (PJTSAU), हैदराबाद को तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा PM-RKVY के अंतर्गत तेलंगाना सरकार को प्रदान की गई वित्तीय सहायता नीचे प्रस्तुत है:

वर्ष	**राशि (करोड़ रुपये में)**		
	भाकृअनुप (शिक्षा, विस्तार एवं एआईसीआरपी)	**केंद्रीय स्कीम "RKVY" (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**	
		आवंटन	**जारी की गई**
2019-20	-	261.17	130.59
2020-21	29.3420	177.04	0.00
2021-22	33.5986	207.64	0.00
2022-23	34.2706	185.99	0.00
2023-24	42.8315	170.34	0.00
2024-25	36.0768	158.34	79.17
कुल	**176.1197**	**1160.52**	**209.76**

अत: वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 के दौरान प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (PJTSAU) को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कुल रुपये 176.1197 करोड़ जारी किए गए।

PM-RKVY के अंतर्गत, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने उपरोक्त अवधि के दौरान रुपये 1160.52 करोड़ आवंटित किए थे और रुपये 209.76 करोड़ जारी किए थे जिन्हें खर्च नहीं किया जा सका।

(ग) एवं (घ) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा "भारत में उच्चतर कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं विकास" योजना के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालयों (AUs) को दी जाने वाली अनुदान राशि का उद्देश्य उनकी सुविधाओं और आधारभूत संरचना को उन्नत, सुदृढ़ और आधुनिक बनाना तथा उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि करना है। कृषि विस्तार प्रभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से आधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। इस प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (PJTSAU) को धनराशि जारी करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं हुआ।

****